Published in newspapers on 7th January, 2024

साहित्य कला परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

साहित्य कला परिषद्, दिल्ली सरकार की एक स्वायतशासी संस्था है जिसका उद्देश्य दिल्ली में कला संस्कृति का संवर्धन और विकास करते हुए दिल्ली को सांस्कृतिक राजधानी में तब्दील करना है। साहित्य कला परिषद् द्वारा वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमो के आयोजन में कलाकारों/सांस्कृतिक दलों की सहभागिता के लिए साहित्य कला परिषद् निम्नलिखित श्रोणियों में दिल्ली राज्य के कलाकारों/सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित करती है।

- प्रादेशिक लोक संगीत
- 🕨 प्रादेशिक लोक नृत्य
- 🕨 विविध प्रदेशों के लोक नृत्य
- शास्त्रीय नृत्य / समकालीन नृत्य
- 🕨 शास्त्रीय संगीत / गायन
- 🗲 सुगम संगीत (भंजन,गजल,गीत,कव्वाली,फिल्मी,नान फिल्मी गीत)
- > समुह गायन
- यंत्र वादक (वीण / बांसुरी / वायँलन / संतूर / तबला / हरमोनियम / संरागी / लोक वाद यंत्र इत्यदि)
- बैंड / राक बैंड
- > मैजिक शो
- 🕨 कठपुतली प्रर्दशन/लोग पपिट/लोक मैन इत्यदि
- नाटक / नुक्कड नाटक / नौटकी / रागिनी इत्यदि
- 🕨 उदघोषक / उदघोषिका

इस संबंध में विस्तृत जानकारी साहित्य कला परिषद् की वेबसाइट—**https://skpdelhi.in** पर उपलब्ध है। विधिवत रूप से भरे गये आवेदन—पत्र में विज्ञापन प्रकाशन के दिन से एक माह के अंदर जमा कराये जा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्री विनीत पालीवाल कार्यक्रम अधिकारी से दूरभाष—9810006126 पर संपर्क करें।

डा मोनिका प्रियदर्शनी,आई.ए.एस. सचिव साहित्य कला परिषद् साहित्य कला परिषद् के पैनल में विभिन्न विधाओं में दिल्ली राज्य के कलाकारों / सांस्कृतिक दलों को पंजीकृत करने हेतू नियम व शर्त

साहित्य कला परिषद् के पैनल में विभिन्न विधाओं में दिल्ली राज्य के कलाकारों / सांस्कृतिक दलों को पंजीकृत करने के लिए नियम व शर्ते—:

1 लोक सांस्कृतिक दल नृत्य व संगीत

प्रादेशिक लोक संगीत—

- 1. विभिन्न प्रदेंशों के लोक गीत/लोक संगीत/विभिन्न प्रदेशों के त्यौहारों एवं उत्सव पर पर गाए जाने वाले लोक गीत
- 2. हरियाणा,राजस्थान,गुजरात,छत्तीसढ,झारखंड,बिहार,जम्मू कश्मीर,हिमाचल,मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश पंजाब बंगाल इत्यदि प्रदेशों के विभिन्न अंचलो के लोक गीत/लोक संगीत

प्रादेशिक लोक नृत्य—

- 1. विभिन्न प्रदेंशों के लोक नृत्य / विभिन्न प्रदेशों के त्यौहारों एवं उत्सव पर पर गाए जाने वाले लोक नृत्य एवं स्वागत स्वरुप किए जाने वाले विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य
- 2. हरियाणा,राजस्थान,गुजरात,छत्तीसढ,झारखंड,बिहार,जम्मू,कश्मीर,हिमाचल,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,असाम,मणिपुर,नोर्थ ईस्ट व उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यदि प्रदेशो कें विभिन्न अंचलो के लोक नृत्य/लोक नृत्य

2 शास्त्रीय नृत्य दल

- कथक
- भरतनाट्यम
- ओडिसी
- कुचिपुडी
- कत्थकली
- मोहिनी—अट्टम
- छाऊ
- 3 मार्शल आर्ट

4.समकालीन नृत्य दल

5 सुगम संगीत दल व कलाकार

- भजन
- गजल
- गीत
- कव्वाली

7 समूह गायन

वृन्द गान (Choir)

- 7 वाद्य वादन -जैसे -वीणा,बांसुरी,वायॅलन,संतूर,तबला, सारंगी,शहनाई,पियानो,सितार,सरोद, इत्यदि
- 8 बैंड- रॉक बैंड/आर्केस्ट्रा बैंड/ वृन्द वादन
- 9 पपेट शो
- 10 नाटक दल
- 11 नुक्कड नाटक दल
- 12 नौंटकी दल / स्वांग / सांग
- 13 उद्घोषक व उद्घोषिका
- 15 मैजिक शो

आवेदन के लिए अनिवार्य नियम

- सांस्कृतिक दल / कलाकार ने राजकीय या राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम चार इससे अधिक प्रस्तुतियो का प्रदर्शन व मंचन किया हो।
- 2. सांस्कृतिक दल / कलाकार दिल्ली राज्य का निवासी होना चाहिए (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे)
- 3. पैन कार्ड की प्रति
- 4. बैक एकाउन्ट डिटेल
- 5. सांस्कृतिक दल / कलाकार का मुद्रित(Printed) बिल होना अनिवार्य है।
- 6. सांस्कृतिक दल / कलाकार के चयन का अंतिम निर्णय सचिव साहित्य कला परिषद् दिल्ली का होगा।
- 7. आल इंडिया रेडियो/आकाशवाणी/दूरदर्शन/आइ.सी.सी.आर./संगीत नाटक अकादमी/क्षेत्रिय सांस्कृतिक केन्द्र/राज्य अकादिमयों में पंजीकृत व मान्यता—प्राप्त/पुरस्कृत सांस्कृतिक दल/कलाकारों को प्राथिमकता प्रदान की जाएगी।
- देश भर से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित/पुरस्कृत/प्रख्यात/सुविख्यात/युवा कलाकार(18से 35 वर्ष) कलाकार/ग्रुप भी आवेदन के पात्र हैं।
- 9. सांस्कृतिक दलों / कलाकारों द्वारा कम से कम 4 कार्यक्रमों की 5 से 10 मिनट का विडियो एव फोटो पैन ड्राइंव में डाल कर जमा करना अनिवार्य है।
- 10. सांस्कृतिक दलों / कलाकारों के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मांगे गए दस्तावेजो के साथ विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर साहित्य कला परिषद् के कार्यालय—18ए सत्संग विहार मार्ग ,स्पेशल इंस्ट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में सांय 6:00 बजे तक प्राप्त किए जाएगें।
- 11. जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगे।
- 12. दिल्ली राज्य के सांस्कृतिक दल / कलाकार को कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आने जाने का भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

- 7 वाद्य वादन जैसे वीणा, बांसुरी, वायॅलन, संतूर, तबला, सारंगी, शहनाई, पियानो, सितार, सरोद, इत्यदि
- 8 बैंड- रॉक बैंड/आर्केस्ट्रा बैंड/ वृन्द वादन
- 9 पपेट शो
- 10 नाटक दल
- 11 नुक्कड नाटक दल
- 12 नौंटकी दल / स्वांग / सांग
- 13 उद्घोषक व उद्घोषिका
- 15 मैजिक शो

आवेदन के लिए अनिवार्य नियम

- 1. सांस्कृतिक दल / कलाकार ने राजकीय या राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम चार इससे अधिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन व मंचन किया हो।
- 2. सांस्कृतिक दल / कलाकार दिल्ली राज्य का निवासी होना चाहिए (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे)
- 3. पैन कार्ड की प्रति
- 4. बैक एकाउन्ट डिटेल
- 5. सांस्कृतिक दल / कलाकार का मुद्रित(Printed) बिल होना अनिवार्य है।
- 6. सांस्कृतिक दल / कलाकार के चयन का अंतिम निर्णय सचिव साहित्य कला परिषद् दिल्ली का होगा।
- 7. आल इंडिया रेडियो/आकाशवाणी/दूरदर्शन/आइ.सी.सी.आर./संगीत नाटक अकादमी/क्षेत्रिय सांस्कृतिक केन्द्र/राज्य अकादिमयों में पंजीकृत व मान्यता—प्राप्त/पुरस्कृत सांस्कृतिक दल/कलाकारों को प्राथिमकता प्रदान की जाएगी।
- 8. देश भर से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित/पुरस्कृत/प्रख्यात/सुविख्यात/युवा कलाकार(18से 35 वर्ष) कलाकार/ग्रुप भी आवेदन के पात्र हैं।
- 9. सांस्कृतिक दलों / कलाकारों द्वारा कम से कम 4 कार्यक्रमों की 5 से 10 मिनट का विडियो एव फोटो पैन ड्राइंव में डाल कर जमा करना अनिवार्य है।
- 10. सांस्कृतिक दलों / कलाकारों के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मांगे गए दस्तावेजो के साथ विज्ञापन प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर साहित्य कला परिषद् के कार्यालय—18ए सत्संग विहार मार्ग ,स्पेशल इंस्ट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में सांय 6:00 बजे तक प्राप्त किए जाएगें।
- 11. जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगे।
- 12. दिल्ली राज्य के सांस्कृतिक दल / कलाकार को कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आने जाने का भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्रपत्र

1.	सांस्कृतिक दल / कलाकार / ग्रुप / संस्था का नाम
2.	प्रोपराइटर का नाम/ग्रुप लीडर का नाम———————————————————————————————————
3.	
	पैन कार्ड सं.————————————————————————————————————
	जी.एस.टी नं
5.	आधार कार्ड नं
	(कापी संलग्न करे)
6.	मोबाइल नं.————————————————————————————————————
7.	ईमेल
8.	सांस्कृतिक दल / कलाकार / ग्रुप / संस्था का विधा का नाम जिस विधा के लिए आवेदन किया है।-
9. ·	राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय/राज्य स्तर पर दी गई प्रस्तूतियों का विस्तृत व्यौरा————————————————————————————————————
10. š	(समाचार पत्र की कटिंग/फोटोग्राफ्स/प्रशस्ति पत्र/इत्यदि) अन्य अति आवश्यक जानकारी
f	दिनांक नाम
	हस्ताक्षर
Ŧ	नोट— 1. प्रपत्र के सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। 2. कम से कम 4 कार्यक्रमों की 5 से 10 मिनट का विडियो एव फोटो पैन ड्राइंव में डाल कर जमा करना अनिवार्य है। 2 अपूर्ण आवेदन निरस्त किए जाएगें।